



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 15311 वर्ष 2026

सुरेश यादव @ सुनील यादव

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता	:	राजीव कुमार तिवारी
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. आज दाखिल किए गए प्रतिउत्तर शपथपत्र को अभिलेख में ले लिया गया है।
3. यह जमानत याचिका आवेदक को मामला अपराध संख्या 131/2026, धारा 8/20(बी), 27(ए), 29, पुलिस स्टेशन राम कोला, जिला कुशी नगर में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक और अन्य सह-आरोपी सुंदर लाल निषाद के कब्जे से 21.100 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी सुंदर लाल निषाद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16619/2026 में दिनांक 15.05.2026 को पारित आदेश द्वारा जमानत दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर शपथपत्र में दिया गया है और वे 24.03.2026 से जेल में हैं।
5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, सुंदर लाल निषाद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।
7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी सुंदर लाल निषाद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस आदेश को रद्द या

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 24.3.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

8. जमानत आवेदन स्वीकार कर ली गई है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपी सुरेश यादव उर्फ सुनील यादव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निजी मुचलका और दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह) 25

जून, 2026
ललित शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"